भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *344
जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।
21 श्रावण, 1948 (शक)

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क संबंधी योजना

***344. श्री बी. के. पार्थसारथी :**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशभर में कार्यान्वित की गई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एसटीपी इकायों में निवेश की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एसटीपी इकायों के माध्यम से किए गए निर्यात और आयात की मात्रा और उसके मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) एसटीपी संबंधी प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है और इसके लिए सेवा-स्तर संबंधी क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा एसटीपी इकाइयों के लिए अनुमोदनों को और अधिक सुकर बनाने और व्यापार करने में सुगमता में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ङ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क संबंधी योजना के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *344 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

(क) से **(ङ):** भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार का समर्थन करने के लिए कई पहलें और कार्यक्रम शुरू किए हैं और पूरे देश में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) इस प्रयास में एक ऐसी ही महत्वपूर्ण योजना है।

एसटीपी योजना भारत से सॉफ्टवेयर और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 100% निर्यातोन्मुखी योजना है और एसटीपी योजना के तहत एसटीपीआई एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली के रूप में सांविधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

पिछले तीन वर्ष के लिए एसटीपी इकाइयों के बारे में विवरण नीचे तालिकाबद्ध हैं:

	वि.व. 2023-24	**वि.व. 2024-25**	**वि.व. 2025-26**
एसटीपी इकाइयों की कुल संख्या	2059	2042	2125
एसटीपी इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	10,709.92	8,870.78	7,362.86*
एसटीपी इकाइयों द्वारा कुल आयात (करोड़ रुपए में)	9,947.47	9,482.27	9,960.26*
एसटीपी इकाइयों द्वारा कुल निर्यात (करोड़ रुपए में)	6,36,619.87	6,88,194.11	7,73,898.97*

*अनुमानित

एसटीपी योजना के तहत पंजीकृत एसटीपी इकाइयों का राज्य-वार विवरण, इन इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किया गया निवेश और पिछले तीन वर्ष में उनके निर्यात और आयात के विवरण नीचे दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्ष में एसटीपीआई के साथ पंजीकृत एसटीपी इकाइयों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	33	30	31
2	असम	1	2	2
3	बिहार	1	-	-
4	चंडीगढ़	20	13	13
5	छत्तीसगढ़	11	11	10
6	गोवा	5	5	5
7	गुजरात	38	37	37
8	हरियाणा	78	83	87
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	-
10	जम्मू और कश्मीर	4	4	4
11	झारखंड	10	9	9
12	कर्नाटक	393	381	391
13	केरल	73	68	69
14	मध्य प्रदेश	21	23	24
15	महाराष्ट्र	347	352	367
16	मेघालय	4	4	4
17	ओडिशा	112	117	132
18	पुडुचेरी	5	5	5
19	पंजाब	36	37	39
20	राजस्थान	21	23	23
21	तमिलनाडु	366	371	391
22	तेलंगाना	288	274	280
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	17	21	22
24	उत्तर प्रदेश	104	99	107
25	उत्तराखंड	5	5	5
26	पश्चिम बंगाल	65	67	68
		2059	**2042**	**2125**

पिछले तीन वर्ष के दौरान एसटीपीआई के साथ पंजीकृत एसटीपी इकाइयों द्वारा किए गए राज्यवार निर्यात और आयात के विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2023-24		2024-25		2025-26*	
		आयात	निर्यातित माल	आयात	निर्यातित माल	आयात	निर्यातित माल
1	आंध्र प्रदेश	4.56	2325.7	5.53	4743.61	3.29	5057.15
2	असम	-	-	-	1.01	-	0.65
3	चंडीगढ़	0.02	519.15	1.74	491.66	0.3	414.34
4	छत्तीसगढ़	-	64.29	-	71.66	-	75.93
5	गोवा	0.02	141.73	-	49.43	-	81.21
6	गुजरात	4.54	2,242.10	7.70	2,584.11	0.35	3,150.69
7	हरियाणा	184.59	24,409.54	153.11	24,938.34	132.33	26,885.28
8	जम्मू और कश्मीर	-	15.14	-	16.07	-	19.55
9	झारखंड	-	33.77	-	26.03	-	30.41
10	कर्नाटक	6,553.02	2,86,411.68	6,559.73	3,08,909.11	8,145.30	3,50,184.78
11	केरल	15.02	4,019.85	21.60	4,299.83	26.69	3,447.61
12	मध्य प्रदेश	0.2	468.51	-	464.44	-	681.63
13	महाराष्ट्र	1,111.66	1,26,560.73	1,109.27	1,42,088.85	40.44	1,62,594.11
14	मेघालय	0.87	123.78	-	148.99	-	147.54
15	ओडिशा	9.02	3,183.43	12.64	3227.13	5.36	3,492.42
16	पुडुचेरी	1.67	169.29	-	195.17	1.6	207.78
17	पंजाब	3.36	1267.34	0.03	1522.43	-	1623.02
18	राजस्थान	2.71	1798.65	2.16	1910.9	2.34	2072.05
19	तमिलनाडु	476.14	50,496.25	617.93	51,536.55	529.39	60,591.28
20	तेलंगाना	922.16	96,269.05	746.43	1,01,570.02	887.81	1,13,101.83
21	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	-	894.18	-	810.88	1.12	652.08
22	उत्तर प्रदेश	148.87	25,823.88	218.82	28,901.73	159.84	28,442.69
23	उत्तराखंड	-	48.82	-	58.07	-	56.68
24	पश्चिम बंगाल	49.04	9,333.01	25.58	9,628.09	24.10	10,888.26
		9,487.47	**6,36,619.87**	**9,482.27**	**6,88,194.11**	**9,960.26**	**7,73,898.97**

**अनुमानित*

एसटीपी योजना के तहत सेवाओं के अनुमोदन और वितरण के लिए एसटीपीआई निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करता है, जैसा कि https://stpi.in/en/citizens-charter पर उपलब्ध इसके नागरिक चार्टर में उल्लिखित है।

एसटीपी इकाइयों के लिए अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करने और व्यापार करने में आसानी हो, में सुधार करने के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- **सांविधिक सेवाओं का स्वचालन:** आईटी निर्यातकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए, सॉफ्टेक्स फिलिंग सहित सांविधिक सेवाएं, इसकी मंजूरी और उन्हें अंतिम सूचना स्वचालित कर दी गई है। इससे आईटी उद्योग की संतुष्टि के अनुरूप सेवाओं का त्वरित वितरण सुनिश्चित हुआ है।
- **आईटी निर्यातकों के लिए आरबीआई की निर्यात डेटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) प्रणाली के साथ एकीकरण:** आईटी निर्यातकों के लिए एसटीपीआई की ऑनलाइन प्रणाली को निर्यात डेटा साझा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ईडीपीएमएस के साथ एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण ने वास्तविक समय आधार पर आरबीआई को निर्यात घोषणा संबंधी डेटा के निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक पारेषण को सक्षम बनाया है। इसने निर्यात डेटा के तेजी से आदान-प्रदान, बेहतर सटीकता और पारदर्शिता, कम मानवीय हस्तक्षेप, निर्यात लेनदेन की बेहतर निगरानी और आईटी/आईटीईएस निर्यातकों के लिए नियामक अनुपालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान की है।
- **आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** मामला-दर-मामला आधार पर आयात अनुमतियों की पूर्ववर्ती प्रथा को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए व्यापक आयात अनुमतियों के साथ परिवर्तित कर दिया गया है।
- **घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) बिक्री के लिए स्व-घोषणा:** एसटीपीआई-पंजीकृत इकाइयों के लिए पूर्ववर्ती डीटीए अनुमतियों की आवश्यकता को स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के साथ परिवर्तित कर दिया गया है (प्रचालन के पहले वर्ष में अग्रिम डीटीए बिक्री को छोड़कर)।
